राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-4 अंक : नवम वर्ष : 2008 वि.सं. : 2065 बिक्री के लिये नहीं

''अधिकारों के प्रति जागरूक रहो–कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो''

अध्यक्ष–जस्टिस एन.के. जैन

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय

(माह अप्रैल, 2008 से जून, 2008 तक)

परिवाद संख्या– 07/17/3885 में परिवादी के साथ एक पुलिसकर्मी द्वारा किए गये अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार पुलिसकर्मी पूरणमल, उप निरीक्षक के विरूद्व धारा– 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 08/18/497 में एक महिला व उसकी पुत्री द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर लोगों को परेशान करने की शिकायत पर आयोग के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर पूर्व ने बीट कानि0 को उन पर नजर रखने के दिशा–निर्देश दिए। इसके अलावा भी आयोग ने पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे राजकीय स्तर पर उनके ईलाज की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करावें।

परिवाद संख्या– 08/17/1116 में नगरपालिका द्वारा आमरास्ते में दमकल सहित अन्य वाहन खडे कर रास्ता अवरूद्व करने के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर, जयपुर ने नगरपालिका, शाहपुरा को पाबन्द कर आयोग को सूचित किया।

परिवाद संख्या– 07/17/3061 में महानिदेशक, कारागार को जेल में अनियमितताओं व शोषण को रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 07/17/3497 में सचिव, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को निर्देश दिए गये कि वे स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट व अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को संवेदनशीलता व समझबूझ से काम लेने के निर्देश देवें।

परिवाद संख्या– 06/17/1637 में शिप्रापथ थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा अकारण परिवादी से मारपीट करने के मामले व बार–बार तलब करने पर भी पुलिसकर्मी चन्दन सिंह के आयोग के समक्ष उपस्थित न होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर पूर्व को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 07/17/2711 में परिवादी द्वारा अपनी शिकायत एस.डी.एम. कोटपूतली, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, महानिदेशक पुलिस व विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री महोदया सहित कई स्थानों पर दर्ज कराने और उन पर जारी निर्देशों के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होने की दशा में जिला कलेक्टर को नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/50/1423 में एक वृद्व माता को उसके पुत्र द्वारा जबरन घर में रखने और ईलाज नहीं कराने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, देहरादून को मामले की वस्तुस्थिति देखकर वृद्वा सत्यवती वर्मा की स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/18/418 में खुली जेल में निरूद्व बंदियों को दी गई विद्युत सुविधा व उन पर खर्च के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग से राज्य सरकार की जिम्मेदारी के बारे में पूछा गया।

परिवाद संख्या– 08/17/1458 में ईंट भट्टा मजदूरों से जबरन कार्य करवाने के परिवाद पर जिला कलेक्टर, जयपुर को माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायिक विनिश्चय ए.आई. आर. 1984 एस.सी. 802 में दिए गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 07/17/1516 में परिवादिया के कैंसर पीडित होने और ईलाज में हो रही परेशानियों के सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष, रेडियोथैरेपी विभाग भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर द्वारा आयोग को परिवादिया के ईलाज की समुचित सुविधा व सहयोग देने का आश्वासन दिया गया।

परिवाद संख्या– 07/17/2260 में सोर्स के अभाव में कैंसर मरीजों के ईलाज के सम्बन्ध में विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, मुम्बई ने आयोग को अवगत कराया कि उनके द्वारा जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर को 144 RMM कोबाल्ट–60 की आपूर्ति दे दी गई है और सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को 150 RMM कोबाल्ट–60 की आपूर्ति जुलाई तक कर दी जायेगी ।

परिवाद संख्या– 08/17/1503 में परिवादी की पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देने के मद्देनजर न्यायहित में थानाधिकारी, रोहिणी, नई दिल्ली को कानून सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 8/17/1379 में स्कूल प्रशासन द्वारा फीस लौटाने के मामले को स्कूल प्रशासन की *Competence* का माना जाकर स्कूल प्रशासन से उचित कार्यवाही की अपेक्षा की थी। जिस पर स्कूल प्रशासन ने अपेक्षित कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया।

परिवाद संख्या– 08/17/1213 में मृतका के स्थान व दिनांक गलत अंकन करने के मामले में आयोग के निर्देशानुसार जिला सांख्यिकी अधिकारी ने जांच में शिकायत सही पाई। जिस पर सम्बन्धित कर्मचारी ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/17/1669 में परिवादी द्वारा एक चिकित्सक द्वारा मरीजों से अधिक फीस वसूलने, रसीद नहीं देने और अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कानून सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/17/1193 में वी.सी.टी.टी., पी.पी. टी.सी. व ब्लड बैक में सलाहकार व लैब टेक्निशियन की समस्याओं के बारे में परियोजना निदेशक, राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी ने गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुबंध को तुरन्त समाप्त करने और कर्मचारियों को 6500/– रूपये फिक्स अनुबंध पर रख कर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 08/17/1681 में दिनांक 13.5.2008 को जयपुर में हुए बम–विस्फोटों में घायल व्यक्ति को मामले की वस्तुस्थिति देखकर कानून–सम्मत कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/17/1667 में गुर्जर आन्दोलन में मृत व्यक्तियों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं कर उनके परिजनों को नहीं सौंपने और पोस्टमार्टम में देरी के कारण डेड–बॉडी सडने से वातावरण प्रदूषित होने और संक्रमणता फैलने, मृतक के परिवारजन दुखी रहने, वैमन्स्यता बढने और ऐसे आन्दोलनों के कारण रेल,बस, माल परिवहन का आवागमन रूकने से आम आदमी को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग/ डी0आर0एम0 रेल्वे/ प्रबन्ध निदेशक रा0रा0पथ परिवहन निगम/ कर्नल किरोडी सिंह बैंसला को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किए गये।

परिवाद संख्या– 07/17/2021 में एक लावारिस बच्चें की लाश को पुलिसकर्मियों द्वारा बिना परिजनों को सूचित किए जला देने के मामले में आयोग के निर्देशानुसार दोषी पुलिसकर्मियों को धारा– 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही के तहत् दोषी पुलिसकर्मी ओमप्रकाश (उपनिरीक्षक) को परिनिंदा के दण्ड से व रिछपाल सिंह (कानि0 6263) को भविष्य के लिए चेतावनी के दण्ड से दंण्डित किया जाकर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 08/17/796 में कामकाजी महिला के साथ छेडछाड करने और शारीरिक उत्पीडन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1997 सुप्रीम कोर्ट– 3011 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' में दिए गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक पुलिस को कार्यवाही करने के लिए लिखा गया ।

परिवाद संख्या– 06/17/2384 में परिवादी को पुलिसकर्मी द्वारा डराने धमकाने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षकगण जयपुर शहर (उत्तर)/कोटा को लिखा गया कि वे सम्बन्धित पुलिसकर्मियों को पाबन्द करें कि वे बिना

वजह परिवादी या अन्य किसी व्यक्ति को धमकी न देवें। इस आदेश की पालना में पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर उत्तर, जयपुर द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थानाधिकारियों व वृत्ताधिकारियों को पाबन्द करवा कर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या–5/25/1379 में परिवादिया श्रीमती कालीदेवी के पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार निदेशक स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित किया कि परिवादिया के पेंशन कुलक पर हस्ताक्षर करवा कर पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाया जा चुका है।

परिवाद संख्या–08/05/623 में परिवादिया श्रीमती चनणी देवी को जाति से बाहर निकालने की धमकी देकर रूपये वसूलने व राजीनामा करने का दबाव डालने का मामला आयोग के महानिरीक्षक (पुलिस) द्वारा बाद जांच सही पाये जाने पर महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर को निर्देश दिए गये कि वे इस मामले मे केस आफिसर स्कीम के तहत् विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे, इंसदादी कार्यवाही करे व सम्बन्धित थानाधिकारी–सिणधरी से स्पष्टीकरण लेकर आयोग को सूचित करें।

बाल विवाहों पर माननीय अध्यक्ष महोदय का जनजागरूता पर संदेश

अक्षय तृतीया सहित अन्य पर्वो पर राज्य में भारी संख्या में होने वाले बाल विवाहों के सन्दर्भ में आयोग ने दिनांक 6 मई 2008 को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संदेश दिया कि – यद्यपि बाल विवाहों की रोकथाम हेतु 'बाल विवाह निषेद्य अधिनियम' बना हुआ है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दिशा–निर्देश दे रखे हैं। किन्तु फिर भी विभिन्न पर्वो पर कई लोग अपने छोटे बच्चों को विवाह बंधन में बाधंते है। यह सही है कि बाल विवाह की रोकथाम हेतु लोगों में जनजागरूकता आई है और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से प्रयासरत है। किन्तु इसके लिए आमजन की सकारात्मक सोच भी जरूरी है। आयोग द्वारा लोगों से अपील की गई कि ऐसे माता–पिता बाल विवाह की रोक में अपेक्षित सहयोग देकर कानूनी प्रावधानों से बचे और बच्चों की भलाई के साथ–साथ उनके मानवाधिकारों के संरक्षण में भी सहयोग करें।

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्त्तव्यों के प्रति कम सजग है। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने ***भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51–ए में वर्णित मुख्य कर्त्तव्यों*** का एक प्रारूप मय फोटो, तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/विभागों/संस्थाओं को भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ–साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ–साथ कर्त्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

दिनांक– 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के उपरान्त आयोग के माननीय सदस्य श्री पुखराज सीरवी, महानिरीक्षक पुलिस श्री एन0 मौरिस बाबू और उप सचिव श्री आर0 के0 मीणा की टीम ने सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षक किया जिसमें आपसी समनवय और व्यवस्थाओं को सही पाया।

विभिन्न शैक्षेणिक संस्थाओं/एन0जी0ओ0 द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

दिनांक– 12 अप्रेल 2008 को श्री **कृष्णा एकेडेमी ऑफ लीगल एजूकेशन एवं एमनेस्टी इन्टरनेशनल** द्वारा आयोजित *'मानव सम्मान के लिए मानव अधिकार'* विषय पर आयोजित संगोष्ठी में निःशक्तजन–आयुक्त श्री खिल्ली मल जैन एवं डा0 कमल दत्ता अति0 जिला न्यायाधीश, श्री डी. पी. शर्मा अति0 जिला न्यायाधीश, श्री नवलकिशोर शर्मा अति0 जिला न्यायाधीश, श्री एच0एन0 अटल अति0 जिला मजिस्ट्रेट, श्री राकेश मिश्रा एमनेस्टी इन्टरनेशनल व सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री पवन चोधरी व प्रो. श्री सुरेन्द्र यादव, गणमान्य व्यक्ति व छात्राओं के साथ मानवाधिकारों पर चर्चा की।

परिवाद संख्या– 8/17/1819 में रेजीडेन्ट डॉक्टर्स द्वारा की गई हड़ताल पर आयोग के निर्देशानुसार रेजिडेन्ट डॉक्टर्स एसोसियेशन (जार्ड) द्वारा प्रस्तुत जवाब और आयोग

के महानिरीक्षक (पुलिस) की जाँच के तथ्यों में परस्पर समानता नहीं पाये जाने पर जार्ड के पदाधिकारी डॉ. अखिलेश मिश्रा व डॉ. राजवेन्द्र चौधरी से दिनांक 15.07.2008 तक प्रत्युत्तर मांगा गया।

दिनांक– 4 मई 2008 को **स्व0 पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय मेमोरियल ट्रस्ट** के 'स्मृति समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती कमला पूर्व उप मुख्य मन्त्री, राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री एन0के0जैन, ऑल इण्डिया फाईन आर्ट्स सोसायटी, नई दिल्ली के श्री वीरेन्द्र 'राही', गर्ल्स कॉलेज मेरठ की पूर्व प्राचार्या श्रीमती सविता नाग, तथा प्रख्यात साहित्यकार डा0 हेतु भारद्वाज के साथ मानवाधिकारों विषयों पर चर्चा की।

दिनांक 22 मई 2008 को **श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, श्री महावीरजी** के *वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2007–08* में महाविद्यालय की संस्थापिका एवं संचालिका ब्र0 कमलाबाई जैन, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बृजेन्द्र कुमार आर्य– अध्यक्ष नगरपालिका हिण्डौनसिटी, सोहनलाल सेठी (कार्याध्यक्ष), सुमेर कुमार पाण्डया (मानदमंत्री), डा0 विजेन्द्र सिंह डागुर (प्राचार्य), प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण, छात्राऐं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मानवाधिकारों पर चर्चा की।

दिनांक 25 जून 2008 को **श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर** द्वारा आयोजित *'ग्रीष्मकालीन अभिरूचि शिविर'*, जिसमें करीब 14 गतिविधियां समिम्लत थीं, के समापन समारोह में भाग लेकर अध्यक्ष श्री सेठी साहब, महेन्द्र जी पाटनी, रमेश पापड़ीवाल, महाविद्यालय के प्रिंसिपल, उपस्थित 560 छात्रों, अभिभावकों, एवं शिक्षकगणों के साथ मानवाधिकारों पर चर्चा की।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन :–

आम लोगों में विधिक साक्षरता व जन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रकाशित बुकलेट्स को निम्नांकित संस्थाओं/ व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रकाशित करवाया गया :–

1–मैडम श्रुति भारद्वाज, कमिश्नर मुख्यालय, जयपुर नगर निगम ने जनहित में जन–जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी मनोहर कान्त व महापौर अशोक परनामी के सानिध्य में आयोग की बुकलेट्स की 10000 प्रतियां *Reprint* करवा कर विभिन्न स्थानों पर भेजकर आयोग को सूचित किया।

2–श्री कौशल किशोर जैन, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, मोहनबाडी, जयपुर।

3–बैंगलौर से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र *'धीर'* में आयोग द्वारा प्रकाशित बुकलेट के अंश क्रमशः प्रकाशित किए।

वर्ष 2004 से **नानी ए0 पालखीवाला मेमोरियल ट्रस्ट, मुम्बई,** द्वारा *नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण एवं सुरक्षा* के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों व संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए हर वर्ष दिए जा रहे एक लाख रूपये का अवार्ड हेतु ट्रस्ट की सदस्य सचिव, द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नामों का मनोनयन करने का अनुरोध किया है।

अतः सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि इस अवार्ड हेतु जो भी अपने आपको मनोनीत करवाना चाहे, अपना आवेदन उत्कृष्ट कार्यो के विवरण सहित शीघ्रातिशीघ्र आयोग को उपलब्ध करावें। जिससे इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा सकें।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 31.3.2008 को 890 प्रकरण शेष थे। नये परिवाद 1011 आये तथा नये, पुराने व पुनः सुनवाई कुल 960 प्रकरणों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख दिनांक 1.7.2008 को **941** प्रकरण शेष रहे।

अध्यक्ष– न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण–** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव,** महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227565, 5104212.

Book Post